न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः – 170 / 2024 प्रार्थना पत्र

GCMS No. – 2024 / 601

1. मुलचन्द पुत्र मोहन गाडरी निवासी मण्डागुलफरोशान तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

2. घीसीबाई पुत्री मोहन गाडरी निवासी मण्डागुलफरोशान तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

3. पानी बाई बेवा मोहन गाडरी निवासी मण्डागुलफरोशान तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

4. विष्णु पुत्र मन्नालाल गाडरी निवासी मण्डागुलफरोशान तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

5. लक्ष्मी पुत्री मन्नालाल गाडरी निवासी मण्डागुलफरोशान तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

6. लीला बाई पत्नि मन्नालाल गाडरी निवासी मण्डागुलफरोशान तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– प्रार्थीगण

बनाम

1. कंवरलाल पुत्र काशीराम गाडरी आयु वयस्क निवासी मण्डागुलफरोशान तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

2. खेमराज पुत्र काशीराम गाडरी आयु वयस्क निवासी मण्डागुलफरोशान तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

3. आशा पुत्री काशीराम गाडरी आयु वयस्क निवासी मण्डागुलफरोशान तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ हाल मुकाम बिसलवास कलां तह० व जिला नीमच

4. काली पुत्री काशीराम गाडरी आयु वयस्क निवासी मण्डागुलफरोशान तह० निम्बाहेडा हाल मुकाम घटियावली तह० व जिला चित्तौडगढ राज०

5. वरदी पुत्री काशीराम गाडरी आयु वयस्क निवासी मण्डागुलफरोशान हाल मुकाम कदमाली तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

6. कमलेश पुत्र भमरलाल गाडरी आयु वयस्क निवासी मण्डागुलफरोशान तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

7. लोभचन्द पुत्र भमरलाल गाडरी आयु वयस्क निवासी मण्डागुलफरोशान तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

8. विद्या पुत्री भमरलाल गाडरी आयु वयस्क निवासी मण्डागुलफरोशान तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

9. मन्जुबाई पत्नि भमरलाल गाडरी आयु वयस्क निवासी मण्डागुलफरोशान तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

10. जशोदा पत्नि गोपाल गाडरी आयु वयस्क निवासी मण्डागुलफरोशान तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

11. अर्जुनलाल पुत्र गोपाल जी आयु अवयस्क नाबालिग जरिये वली सरपरस्त माता जशोदा पत्नि गोपाल गाडरी आयु वयस्क निवासी मण्डागुलफरोशान तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

12. उपपंजियक निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

13. भूमिधारी तहसीलदार साहब निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम— 1955

उपस्थित :— 1— श्री विशाल कुमावत — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2— श्री नरेन्द्र वैष्णव — अधिवक्ता विपक्षीगण

:: निर्णय :: दिनांक :— 23.01.2025

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं० 1 से 12 की संयुक्त कब्जे काश्त की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात वाके मौजा मण्डागुलफरोशान पटवार हल्का रानीखेडा तह० निम्बाहेडा की. खाता संख्या 248 की आराजी नं० 884 रकबा 1.0100 हैक्टेयर लगानी 25 रुपये 76 पैसा, आराजी नं0 886 रकबा 0.2100 हैक्टेयर लगानी 5 रुपये 36 पैसा, आराजी नं0 887 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे०मु०चाह, कुल किता 3 कुल रकबा 1.2300 हेक्टेयर स्थत हैं।

2. वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण के दादा व पडदादाजी मोतीलाल जी के जमाने से चली आ रही है, तथा मोतीलाल जी के दो पुत्र काशीराम व मोहन हुवे। तथा प्रार्थीगण मोतीलालंजी के पौत्र व पडपौत्र हैं, तथा उक्त आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात है जिसमे प्रार्थीगण का बर्थ इन्ट्रेस्ट निहित है, तथा उक्त आराजीयात मे प्रार्थीगण का जन्म से अधिकार निहित हैं।

3. वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण के दादा व पडदादाजी मोतीलाल जी के समय की होकर हिन्दु परिवार की अविभक्त सम्पत्ति है मोतीलालजी के जीवन काल में ही वादग्रस्त आराजीयात काशीराम के नाम से अलोट सन् 1964 के लगभग की गई थी, उस समय काशीराम एवं मोहनजी अपने पिता मोतीलाल के साथ ही संयुक्त हिन्दु परिवार के रुप में निवास करते थे और काशीराम जी मोतीलालजी के बडे पुत्र होने के कारण व परिवार के कर्ता होने के कारण उक्त सम्पत्ति काशीराम जी के नाम पर अलोटमेन्ट करवाई थी, तथा संयुक्त हिन्दु परिवार के रुप मे साथ रहकर उक्त भूमि को दोनो भाईयों के साथ मिलकर संयुक्त रुप से उक्त आवंटीत भूमि को काबिल काश्त बनाया लाखो रुपये की लागत लगाकर उक्त भूमि को उपजाउं बनाया तथा दोनो भाईयो ने शामलाती रुप से उक्त. आराजी पर कुआ खुदवाया, तथा कुआ को पक्का बंधवाया तथा उस पर काशीराम एवं मोहन का नाम भी खुदवा रखा है जो नवीन आराजी नं0 887 पर स्थित हैं जिस पर

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

विद्युत कनेक्शन भी मोतीलालजी के नाम पर कराया तब मोतीलालजी के जीवनकाल मे संयुक्त हिन्दु परिवार के रुप मे निवास कर रहे थें, तथा मोतीलालजी का देहान्त सन् 1981 में हुआ, तथा मोतीलालजी के देहान्त के बाद काशीराम एवं मोहन द्वारा आपस में मौखिक रुप से 1/2–1/2 हिस्से अनुसार बटवारा कर अपने अपने परिवार सहित अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे।

4. काशीराम एवं मोहन के मध्य आपस मे गहरा प्रेम व विश्वास था इस कारण वादग्रस्त आराजीयात काशीराम के नाम खातेदारी मे दर्ज चली आ रही थी, चूंकि भविष्य मे कोई काशीराम एवं मोहन के परिवार व वारिसानो के मध्य कोई विवाद न हो इसलिए काशीरामजी द्वारा अपन जीवीन काल मे एक वसीयत अपने भाई मोहन के पक्ष मे निष्पादित की जिसमें काशीरामजी ने स्पष्ट रुप से अंकित किया और उक्त वसीयत नामे मे स्पष्ट रुप से स्वीकार किया कि उक्त सम्पत्ति संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति हैं व दोनो भाई काशीराम व मोहनजी का बराबर हक हिस्सा है और उसी अनुसार कब्जा चला आ रहा हैं, तथा वादग्रस्त आराजीयात जो 5 बीघा भूमि होकर उक्त भूमि उनकी संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति है जो काशीराम के नाम पर अलोट हुई थी जिसका बटवारा दोनो भाईयों के द्वारा कर लिया गया था, और उक्त आराजी मे से 1/2 हिस्सा याने 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि काशीराम के व 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि मोहन के हिस्से मे रखी जिसका प्रथम एवं अंतिम वसीयत नामा दिनांक 17/10/2010 को निष्पादित किया गया।

5. काशीरामजी के देहान्त के बाद विरासत से विपक्षी नं० 1 से 12 के नाम वादग्रस्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई, तथा वादग्रस्त आराजीयात. में विपक्षी नं० 1 से 12 के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज चली आ रही हैं, प्रार्थीगण के पिता व दादा मोहन जी का देहान्त हो गया है तथा प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्तआराजीयात मे 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण के नाम, घौषित कराने हेतु विपक्षीगण को कहा तो विपक्षीगण टाल चाल कर रहे है और प्रार्थीगण के 1/2 हक हिस्से की घौषणा प्रार्थीगण के नाम कराने से इंकार हो गये हैं तथा प्रार्थीगण व गांव के मौतबीर व्यक्तियों व रिश्तेदारो द्वारा विपक्षीगण को समझाने बुझाने पर भी विपक्षीगण किसी भी सुरत मे मानने को तैयार नही है, इसलिए प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण का संयुक्त 1/2 हक हिस्से की घौषणा प्रार्थीगण कराने की अधिकारी हैं।

6. वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण के दादा व पडदादाजी मोतीलाल जी के जमाने से चली आ रही है, तथा मोतीलाल जी के दो पुत्र काशीराम व मोहन हुवे। तथा प्रार्थीगण मोतीलालजी के पौत्र व पडपौत्र हैं, तथा उक्त आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात है जिसमे प्रार्थीगण का बर्थ इन्ट्रेस्ट निहित है, तथा उक्त आराजीयात मे प्रार्थीगण का जन्म से अधिकार निहित हैं और वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण के दादा व पडदादाजी मोतीलाल जी के समय की होकर हिन्दु परिवार की अविभक्त सम्पत्ति है मोतीलालजी के जीवन काल में ही मोतीलालजी का बडा पुत्र होने के कारण व परिवार के कर्ता पुरुष होने के कारण वादग्रस्त आराजीयात काशीराम के नाम से अलोट सन् 1964 के लगभग की गई थी, उस समय काशीराम एवं मोहनजी अपने पिता मोतीलाल के साथ ही संयुक्त हिन्दु परिवार के रुप में निवास करते थे तथा संयुक्त हिन्दु परिवार के रुप मे साथ रहकर उक्त भूमि को दोनो भाईयों के साथ मिलकर संयुक्त रुप से उक्त आवंटीत भूमि को काबिल काश्त बनाया लाखो रुपये की लागत लगाकर उक्त भूमि को उपजाउं बनाया तथा दोनो भाईयो ने शामलाती रुप से उक्त आराजी परकुआ खुदवाया, तथा कुआ को पक्का बंधवा तथा उस पर काशीराम एवं मोहन का नाम भी खुदवा रखा है, तथा मोतीलालजी का देहान्त सन् 1981 में हुआ, तथा मोतीलालजी के देहान्त के बाद काशीराम एवं मोहन द्वारा आपस में मौखिक रुप से 1/2–1/2 हिस्से अनुसार बटवारा कर अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थें, तथा काशीराम व मोहन जी के देहान्त के बाद उनके वारिसान वादग्रस्त पुश्तैनी पैतृक आराजीयात में 1/2–1/2 हक हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

7. प्रार्थीगण ने विपक्षीगणो को वादग्रस्त पुश्तैनी आराजीयात में प्रार्थीगण का संयुक्त 1/2 हक हिस्सा प्रार्थीगण के नाम घौषित करा कर प्रार्थीगण का हक हिस्सा बटवारे से अलग करा, अलग खातेदारी मे दर्ज कराने की विपक्षीगण को कहा तो विपक्षीगण टाल चाल कर रहे है तथा वादग्रस्त आराजीयात की घौषणा व बटवारा कराने से इंकार हो गये हैं। इसलिए वादग्रस्त आराजीया तमे मोहन जी का 1/2 हक हिस्सा संयुक्त रुप से प्रार्थीगण के हक हिस्से में तथा काशीराम का 1/2 हक हिस्सा संयुक्त रुप से विपक्षी नं0 1 से 12 के नाम घौषित करा कर पूर्व मे हुवे बट्वारे एवं मौके पर काबिज अनुसार बटवाडा करा कर मौके पर जमीन को नपवा कर बराबर विधीवत रुप से प्रार्थीगण व विपक्षी नं0 1 से 12 के हक हिस्से अलग अलग खातेदारी मे. दर्ज कराने की प्रार्थीगण अधिकारी है। शेष विपक्षीगण का हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड अनुसार, बराबर नपती करा अलग खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

8. वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी पैतृक सम्पत्ति हैं जिसमें विपक्षी नं0 1 से 12 के हक हिस्से में से प्रार्थीगण का संयुक्त 1/2 हक हिस्से अनुसार मौके परप्रार्थीगण एवं विपक्षी नं० 1 से 12 अपने अपने हक हिस्से अनुसार संयुक्त रुप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वादग्रस्त आराजीयात विपक्षी नं० 1 से 12 के नाम खातेदारी में दर्ज होने से प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी नं0 1 से 12 को उक्त आराजीयात की घौषणा करा कर बटवारा कराने हेतु विपक्षी नं0 1 से 12 को कहा तो विपक्षी नं० 1 से 12 टाल चाल कर रहे है और वादग्रस्त आराजीयात की घौषणा व बटवारा कराने से इंकार हो गये हैं तथा प्रार्थीगण को उसके हक हिस्से की संयुक्त कब्जे काश्त की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। विपक्षी नं० 1 से 12 दिगर लोगो के बहकावे में आकर प्रार्थीगण की पुश्तैनी पैतृक भूमि को हस्तांतरण रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरीत करने पर आमादा है, तथा राजस्व रेकार्ड मे परिवर्तन करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण को उनकी हक हिस्से की पूश्तैनी सम्पत्ति से दिगर विपक्षीगण बेदखल करने पर आमादा है व प्रार्थीगण एवं गांव के मौतबीर व्यक्तियों द्वारा विपक्षी नं० 1 से 12 को समझाने बुझाने पर भी विपक्षी नं० 1 से 12 किसी भी सुरत में मानने को तैयार नही है। इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी है।

9. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण की और से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव ने अधिकार पत्र मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

- उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण के दादा व पडदादा मोतीलालजी के जमाने से चली आ ना अस्वीकार है तथा उक्त आराजीयात पुश्तैनी पैतृक होना अस्वीकार जिसमे प्रार्थीगण का बर्थ इन्ट्रेस्ट निहित होना व जन्म से अधिकार होना अस्वीकार हैं।

- उक्त वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभक्त सम्पत्ति होना अस्वीकार है वादग्रस्त आराजीयात राज्य सरकार द्वारा पुराने आराजी नम्बर 350 रकबा 18 बीघा 16 बिस्वा में से 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो काशीराम पिता मोती गाडरी निवासी मड्डा गुलफरोशान को सन् 1964 में आवंटीत हुई थी और राज्य सरकार द्वारा मौके पर काशीराम को सुपुर्द किया था तथा काशीराम जी अलग परिवार मे रहते थे और परिवार के कर्ता नही थें, दोनो भाईयों द्वारा संयुक्त रुप से उक्त भूमि को आवंटीत नही करवाई थी और कोई शामलाती कुआ नही खुदवाया था तथा कोई कब्जा मोहनजी का संयुक्त रुप से नही चला आ रहा हैं, उक्त आराजीयात पर कोई कुआ खुदा हुआ नही हैं। इसलिए उक्त आराजीयात मोतीलालजी के जमाने से चली आना अस्वीकार है तथा कोई हिस्सा वादग्रस्त भूमि में काशिराम व मोहन का 1/2–1/2 बटवारा कर अलग अलग काबिज होना अस्वीकार हैं सम्पूर्ण आराजी विपक्षीगण की स्वामित्व आधिपत्य की चली आ रही है इस प्रकार चरण संख्या 5 सम्पूर्ण रुप से अस्वीकार हैं।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

- उक्त वादग्रस्त आराजीयात काशीराम जी के नाम चली आ ना स्वीकार है तथा काशीराम के देहान्त के बाद विपक्षीगण के नाम पर चली आ रही हैं, तथा उक्त भूमि काशीरामजी के नाम आवंटीत हुई थी जो उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति है जिससे प्रार्थीगण का कोई ताल्लुक सरोकर संबंध नही है तथा उक्त आराजीयात 5 बीघा मे से 2 बीघा 10 बिस्वा मोहनजी के हिससे मे रखी जाना अस्वीकार है तथा तोई प्रथम व अंति वसीयतनामा काशीराम द्वारा मोहनजी के पक्ष में 17/10/2010 को निष्पादित कराना अस्वीकार है तथा कथित वसीयत नामा फर्जी झुठा व बनावटी है जो विपक्षीगण पर बंधक कारक नही हैं, मौके पर वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजीयात पर विपक्षीगण का शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा है जब वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का 1/2 हिस्से पर कोई कब्जा है ही नही तो उक्त 1/2 हिस्से की भूमि की घोषणा कराने के अधिकारी नही हैं। इस प्रकार चरण संख्या 6 सम्पूर्ण रुप से अस्वीकार हैं।

- उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण के दादा व पडदादा मोतीलालजी के जमाने से चली आना अस्वीकार है तथा उक्त आराजीयात पुश्तैनी पैतृक होना अस्वीकार जिसमे प्रार्थीगण का बर्थ इन्ट्रेस्ट निहित होना व जन्म से अधिकार होना अस्वीकार हैं, तथा वादग्रस्त भूमि काशीराम जी द्वारा अपने पिता से अलग होने के बाद राज्य सरकार से सन् 1964 में आवंटीत करवाई थी जो काशीरामजी की स्वअर्जित आराजीयात हैं, तथा काशीराम जी द्वारा अपने बाहुबल से उक्त स्म्पत्ति को उपजाउ बनाया है और काफी लागत लगाई है मोहनलाल जी का वादग्रस्त सम्पत्ति से कोई ताल्लुक सरोकर संबंध नही है तथा कोई कब्जा किसह हैसियत से नही है तथा कोई कुआ वादग्रस्त भूमि पर नही खुदवाया है तथा कोई कब्जा 1/2–1/2 हिस्से अनुसार नही चला आ रहा है ।

- वादग्रस्त सम्पत्ति पुश्तैनी आराजीयात होना अस्वीकार हैं। पुश्तैनी आराजीयात अन्य आराजी नं0 891 रकबा 1.3700 हे० स्थित हैं। जिसमे प्रार्थीगण व विपक्षीगण राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे हैं वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण के पिता व दादा काशीरामजी की स्वअर्जित सम्पत्ति है उक्त भूमि से प्रार्थीगण का कोई ताल्लुक सरोकर संबंध नही हैइसलिए प्रार्थीगण किसी प्रकार की घोषणा कराने का व बटवारा कराने का अधिकारी नहीं हैं।

- उक्त चरण में वर्णित तथ्य गलत है स्वीकार नही हैं, उक्त भूमि पर कोई कब्जा प्रार्थीगण का 1/2 हिस्से पर कभी नहीं रहा है इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण की पिता व दादा की स्वअर्जित सम्पत्ति पर किसी प्रकार की घोषणा कराने के अधिकारी नही हैं तथा प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा हे ही नही तो उन्हे बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी नहीं हैं।

- उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति पुश्तैनी सम्पत्ति नही हैं तथा कोई कब्जा प्रार्थीगण का नही है मौके पर विपक्षीगण का सम्पूर्ण आराजी पर शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा हैं, इसलिए प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्ट्या प्रकरण नही हैं सुविधा का संतुलन विपक्षीगण के पक्ष में हैं, तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की सुरत में अपूर्णिय क्षति विपक्षीगण को होगी। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना हर्जा मय खर्चा सहित खारीज फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

10. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया तथा विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जाने हेतु निवेदन किया गया।

उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. **प्रथम दृष्टया मामला**– हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पुश्तैनी प्रार्थीगण पुश्तेनी आराजियात है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सजरे अनुसार पुश्तैनी आराजियात होने से उक्त आराजियात में प्रार्थीगण का हक हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत हिस्सा निहित होता है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

II. **अपूरणीय क्षति**– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त प्रार्थीगण को विवादित आराजी को सुरक्षित रखने का अधिकार है। क्योंकि उक्त विवादित आराजियात पर विपक्षीगण द्वारा कब्जे काश्त,उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है या किसी अन्य को हस्तांतरित करते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण बनने वाले हिस्से को सुरक्षित किया जाना आवश्यक है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में हैं

III. **सुविधा का संतुलन** :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

11. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूवर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पक्षकारन की पुश्तैनी पैतृक आराजियात है जिसमे प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित हैं। प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए हैं। इसलिए विवेचन के आधार पर पक्षकारान के मध्य व्यर्थ की मुकदमेबाजी को रोकने के लिए विपक्षीगणों को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा-जिला चित्तौड़गढ़

–:आदेश:–

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा मण्डागुलफरोशान पटवार हल्का रानीखेडा तह० निम्बाहेड़ा की. खाता संख्या 248 की आराजी नं० 884 रकबा 1.0100 हैक्टेयर लगानी 25 रुपये 76 पैसा, आराजी नं0 886 रकबा 0.2100 हैक्टेयर लगानी 5 रुपये 36 पैसा, आराजी नं0 887 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे०मु०चाह कुल किता 3 कुल

रकबा 1.2300 हेक्टेयर स्थित भूमि की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थित बनाए रखे एवं किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करे न करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचौली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा